

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण



स्थापना अनुभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय भवन
गाँधीधाम

सं. : जीए/पीएस/3504/सेरंग(यूसी) /2259

दिनांक : 27 -02-2026

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों को सेरंग(यूसी) के पद पर रु. 25200-59600(पुनरीक्षित रु. 35500-86300) के वेतनमान में, तत्काल प्रभाव से, नियमित आधार पर, स्थानांतरित किया जाता है तथा उन्हें समुद्री विभाग में तैनात किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम, पदनाम एवं विभाग
1.	श्री याकूब हाजी सोढा, टिंडल, समुद्री विभाग
2.	श्री विष्णुकुमार सी मकवाना, टिंडल, समुद्री विभाग
3.	श्री राणा धर्मेन्द्रसिंह, टिंडल, समुद्री विभाग
4.	श्री प्रदीपकुमार धुआ, क्वार्टर मास्टर, समुद्री विभाग
5.	श्री मकुपल्ली दिलेश्वर राव, क्वार्टर मास्टर, समुद्री विभाग
6.	श्री डी प्रकाश, टिंडल, समुद्री विभाग
7.	श्री धनराजू एम., टिंडल, समुद्री विभाग
8.	श्री अयूब इस्माइल जाम, क्वार्टर मास्टर, समुद्री विभाग

- उनका वेतन लागू सामान्य नियमों के तहत, मंत्रालय के पत्र सं.:सी-13019/33/2020-पीई-11 दिनांक 01 जुलाई 2022 के माध्यम से प्राप्त तत्संबंधी निर्देश, यदि लागू हो, के अधीन तय किया जाएगा।
- वे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009, के अधीन रहेंगे।
- उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें, लागू सुसंगत नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी।
- उन्हें मूल नियमावली 22(1)(क) (1) में तथा उपबंधित वेतन के नियतन से संबंधित अपना विकल्प इस आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर देना होगा। अगर एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत उन्हें वेतन नियतन का लाभ मिल चुका है तो उस परिस्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी।
- उन्हें सात (7) दिनों के अन्दर तैनाती के स्थान पर हाजिर होना होगा अन्यथा उनका स्थानांतरण स्वतः रद्द माना जाएगा तथा वे एक साल तक स्थानांतरण के हकदार नहीं रहेंगे।
- उपरोक्त स्थानांतरण को स्वीकार न करने पर तथा लिखित में उपयुक्त कारण न देने पर इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.12.2011 के परिपत्र सं. : जीए/पीएस/9332(पार्ट)/329 और दिनांक 19.5.2014 के परिपत्र सं.:जीए/पीएस/9350/946 के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया (1) से (5) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(प्राधिकार : ई-फाईल सं.748 में टिप्पणी सं. 16 पर दिनांक 26.02.2026 को सचिव महोदय के अनुमोदन से)

वरिष्ठ उप सचिव

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रति: (उप संरक्षक के माध्यम से)

- श्री याकूब हाजी सोढा, टिंडल, का.सं.5106, समुद्री विभाग
- श्री विष्णुकुमार सी मकवाना, टिंडल, का.सं.5128, समुद्री विभाग
- श्री राणा धर्मेन्द्रसिंह, टिंडल, का.सं.5170, समुद्री विभाग
- श्री प्रदीपकुमार धुआ, क्वार्टर मास्टर, का.सं.7873, समुद्री विभाग

5. श्री मकुपल्ली दिलेश्वर राव, क्वार्टर मास्टर, का.सं.6252, समुद्री विभाग
6. श्री डी प्रकाश, टिंडल, का.सं.6259, समुद्री विभाग
7. श्री धनराजू एम., टिंडल, का.सं.6262, समुद्री विभाग
8. श्री अयूब इस्माइल जाम, क्वार्टर मास्टर, का.सं.6298, समुद्री विभाग

प्रतिलिपि :

- (1) उप संरक्षक - सूचना तथा कार्यमुक्त करने एवं ड्यूटी रिपोर्ट भेजने आदि से संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु
- (2) लेखा अधिकारी (देय), गांधीधाम/ आवासीय लेखापरीक्षा अधिकारी - सूचनार्थ
- (3) ईडीपी (आई/सी) - डीपीटी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
- (4) सा.प्र.विभाग - संबंधित लिपिक/डीपीसी फाईल/मास्टर फाईल/एचसीएम प्रकोष्ठ
- (5) अध्यक्ष के व.नि.स./उपाध्यक्ष के निजी सचिव/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक